12

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— एल0एस0कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 348 / 2021

मुकेश कुमार, मकान नं0 3 बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) महाविघालय, राणी सती रोड, झुंझुनूं, मो0न0 9928536030

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.11.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 253 / 2021 पर दिनांक 29.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 5573—74 दिनांक 01.11.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2022 / 1785 दिनांक 17.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मुकेश कुमार, मकान नं0 3 बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) महाविघालय, राणी सती रोड, झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा सं0 1789, 1790, 1813 के संबंध मे सूचना चाही गई है। जिसके संबंध मे नामान्तरकरण संख्या 3620 व 1594 की प्रति अपीलार्थी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक रीडर / आर0टी0आई0 / 2022 / 1778 दिनांक 10.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2022 / 1785 दिनांक 17.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मुकेश कुमार, मकान नं0 3 बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) महाविघालय, राणी सती रोड, झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा सं0 1789, 1790, 1813 के संबंध मे सूचना चाही गई है। जिसके संबंध मे नामान्तरकरण संख्या 3620 व 1594 की प्रति अपीलार्थी उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक रीडर / आर0टी0आई0 / 2022 / 1778 दिनांक 10.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं